

क्र. सं. दिनांक असा
का संदर्भ

20/4/24

पत्रावली पोसा कुरी वकील पत्रावली 20/4/24
 पत्रावली कास्ते इंजार् कुर्जात दीपो
 हेतु पत्रावली-दिनांक 20/4/24 से निपट
 थी, जो पूर्व में दिनांक 08.05/24
 को शामिल किया है। उग्रमपक्ष
 अधिवक्ता से तहसीलदार लूंगा
 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के
 अनुरूप अंतिम डिफ़ी फरमाये जाने
 हेतु निर्वेदन किया। उग्रमपक्ष
 अधिवक्ता को बाद पर सुना
 गया। पत्रावली पर उपलब्ध
 रिकॉर्ड का अवलोकन करने एवं
 उग्रमपक्ष अधिवक्ता को विभाजन
 प्रस्ताव पर सुनने के पश्चात्
 हम पाते हैं कि तहसीलदार लूंगा
 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव राज.
 काश्तकारी अधिनियम 1955 के
 नियम 18 से 21 के अनुरूप
 तैयार होकर प्राप्त हुए हैं एवं
 विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी
 पत्रावली द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत
 नहीं की गई है। इसलिए व्यापक
 को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार
 लूंगा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव
 फं.क्र. प्र.गो.सं. अ. / 2003 / 657 दिनांक
 03/5/2003 का अनुमोदन किया
 जाकर अंतिम डिफ़ी किया जाता
 है कि वादग्रस्त भूमि खसरा
 नम्बर 136, 137, 139, 140, 143,
 571/03 कुल अर्थात् 6 कुल रकबा
 1.54 हेक्टेयर स्थित ग्राम-कस्बागढ़
 तहसील लूंगा जिला जयपुर
 में से ख.न. 137 रकबा 0.1000

साक्षर


फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर बस्सी, जयपुर
 प्रेम देवी बनाम राधेश्याम

संख्या / वर्ष : 57 / 20 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>हैक्ट. ख.न. 139/1 रकबा 0.0440 हैक्ट. ख.न. 143/1 रकबा 0.0760 हैक्ट. ख.न. 571/103/1 रकबा 0.0940 हैक्ट. कुल किता-4 कुल रकबा 0.3080 हैक्ट. की भूमि खालेदारी प्रेम देवी पुत्री भगवान सहाय जाति- ब्राह्मण सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.न. 136 रकबा 0.3760 हैक्ट. ख.न. 139/2 रकबा 0.0560 हैक्ट. ख.न. 140 रकबा 0.1560 हैक्ट. ख.न. 143/2 रकबा 0.2800 हैक्ट. ख.न. 571/103/2 रकबा 0.3760 कुल किता-5 कुल रकबा 1.2320 हैक्ट. की भूमि खालेदारी चन्द्रकला पुत्री भगवान सहाय हिस्सा - 1/4 जाति ब्राह्मण सा. देह, राधेश्याम पुत्र भगवान सहाय हिस्सा - 1/4 जाति ब्राह्मण सा. देह, त्रिलिता पुत्री भगवान सहाय हिस्सा - 1/4 जाति ब्राह्मण सा. देह, शिवप्रसाद पुत्र भगवान सहाय हिस्सा - 1/4 जाति ब्राह्मण सा. देह राहिन 1/4 हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बस्सी के हिस्से में रहेगी। तहसीलदार तूंगा उम्मानुस्तर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की कार्यवाही करें। बाद अनुमोदन विभाजन तस्ताव वन्धे तहसीलदार तूंगा</p>	

मंन

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		<p>को भिजवाया जावे। डिक्ली पर्चा जारी हो। इस आशय की तद्विधि वृंगा तद्विहीलदार को जारी हो।</p> <p>पत्रावली फेरुल शुमार होकर बाद तद्विहील दाखिले दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम है।</p> <p>थह निर्णय आज्ञा दिनांक 30/04/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर बस्सी जिल्ला जयपुर </p>	

अदालत सहायक कलक्टर बस्सी, जयपुर ग्रामीण
अधिकारी कनक जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी, जयपुर ग्रामीण

प्रतिवादीगण

वादीया बनाम

प्रेम देवी पुत्री भगवान सहाय
जाति ब्राहाम्ण निवासी
खेडारनिवास हाल निवासी
मानसरोवर जयपुर हाल खातेदार
ग्राम करणगढ तहसील बस्सी
जिला जयपुर।

1. राधेश्याम पुत्र भगवान सहाय जाति ब्राहाम्ण निवासी मकान नं0 13 विजयबाड़ी पथ नं0 7 मुरलीपुरा सीकर रोड जयपुर।
2. शिवप्रसाद पुत्र भगवान सहाय जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम करणगढ तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. चन्द्रकला पुत्री भगवान सहाय पत्नी लालचन्द शर्मा निवासी ग्राम मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर
4. ललिता पुत्री भगवान सहाय पत्नी कमलेश कुमार शर्मा जाति ब्राहाम्ण निवासी राजाकारामा खुररी बापी के पास तहसील व जिला दौसा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर।

दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955


मुकदमा नम्बर 57/2020

वादीया का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 136, 137, 139, 140, 143 व 571/103 कुल किता 6 कुल रकबा 1.54 है0 स्थित ग्राम करणगढ प.ह. करणगढ भू.अ.नि. तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर में से ख.नं. 137 रकबा 0.1000 है0, ख.नं. 139/1 रकबा 0.0440 है0, ख.नं. 143/1 रकबा 0.0700 है0, ख.नं. 571/103/1 रकबा 0.0940 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.3080 हैक्टेयर की भूमि खातेदारी प्रेम देवी पुत्री भगवान सहाय जाति ब्राहाम्ण सा.देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 136 रकबा 0.3700 है0, ख.नं. 139/2 रकबा 0.0560 है0, ख.नं. 140 रकबा 0.1500 है0, ख.नं. 143/2 रकबा 0.2800 है0, ख.नं. 571/103/2 रकबा 0.3760 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.2320 हैक्टेयर की भूमि खातेदारी चन्द्रकला पुत्री भगवान सहाय हिस्सा 1/4 जाति ब्राहाम्ण सा.देह, राधेश्याम पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/4 जाति ब्राहाम्ण सा.देह, ललिता पुत्री भगवान सहाय हिस्सा 1/4 जाति ब्राहाम्ण सा.देह, शिवप्रसाद पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/4 जाति ब्राहाम्ण सा.देह राहिन 1/4 हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बस्सी के हिस्से में रहेगी। तहसीलदार तूंगा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करने की कार्यवाही करे। बाद अनुमोदन विभाजन प्रस्ताव व नक्शे तहसीलदार तूंगा को


सहायक कलक्टर
जयपुर जिला - जयपुर ग्रामीण

भिजवाया जावें। निजी..... मुबलिक..... बाबत..... खर्चा.....
..... इस मुकदमें का मय सूद वगैरह..... फीसदी सालाना आज की
तारीख वसूलियाव तक..... को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 30.04.2024 को जारी किया गया।



दस्तख्त..... mnj

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो
या नहीं दर्ज करना चाहिए।

mnj
सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण